# अध्याय IV
# कार्यों का निष्पादन

## अध्याय IV: कार्यों का निष्पादन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्यों में से एक टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना है। केवल वे ही कार्य किए जा सकते हैं जिनके परिणामस्वरूप टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होता है और गरीब ग्रामीणों के आजीविका संसाधनों को मजबूती मिले। इस योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों/गतिविधियों के दायरे को मोटे तौर पर जल संरक्षण और संचयन, सूखा-रोधी उपाय, सूक्ष्म और लघु सिंचाई, पारंपरिक जल के स्रोतों का नवीनीकरण, ग्रामीण सम्पर्क और भूमि विकास आदि में वर्गीकृत किया गया है। मनरेगा के तहत कार्य का श्रेणी-वार विभाजन **चार्ट 4.1** में दर्शाया गया है :

**चार्ट 4.1**

इस योजना का ध्यान उन कार्यों पर है जिन्हें नीचे दी गई चार श्रेणियों में बांटा गया है :

श्रेणी अ { • प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित सार्वजनिक कार्य

श्रेणी ब { • कमजोर वर्गों के लिए सामुदायिक संपत्ति या व्यक्तिगत संपत्ति

श्रेणी स { • राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अनुरूप स्वयं सहायता समूहों के लिए सामान्य अवसंरचना सहित

श्रेणी द { • ग्रामीण अवसंरचना

इन चार श्रेणियों को आगे योजना के तहत 266 प्रकारों के अनुमत्य कार्यों में उप-विभाजित किया गया था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यों के निष्पादन के दौरान पाई गई कमियों पर इस अध्याय के आगामी अनुच्छेदों में चर्चा की गई है।

### 4.1 कार्यों के निष्पादन की स्थिति

राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित कार्यों की स्थिति **तालिका 4.1** में दिखाई गई है।

**तालिका 4.1: राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित कार्यों की स्थिति**

| वर्ष | अनुमोदित नये कार्य | पूर्ण कार्यों की संख्या (प्रतिशत) | पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में) | अपूर्ण कार्यों की संख्या (प्रतिशत में) | अपूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में) | शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 465300 | 446183(96) | 4423.53 | 12429 (3) | 367.56 | 6688 (1) |
| 2020-21 | 451550 | 398440(88) | 9697.07 | 36303 (8) | 1503.65 | 16807 (4) |
| 2021-22 | 618544 | 518065(84) | 9677.08 | 73120 (12) | 2978.46 | 27354 (4) |
| 2022-23 | 207081 | 73482(36) | 4407.64 | 106622 (51) | 3852.33 | 26977 (13) |
| 2023-24 | 231085 | 28480(12) | 1509.42 | 175593 (76) | 5428.06 | 27012 (12) |
| **योग** | **1973560** | **1464650(74)** | **29714.74** | **404067 (21)** | **14130.06** | **104838 (5)** |

*(स्रोतः सितंबर 2025 में आयुक्त (मनरेगा योजना) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना)*

2019-20 से 2023-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए पांच जिलों में अनुमोदित कार्यों की स्थिति **तालिका 4.2** में दिखाई गई है।

**तालिका 4.2: 2019-20 से 2023-24 के दौरान नमूना जाँच किए गए जिलों में अनुमोदित कार्यों की स्थिति**

| वर्ष | अनुमोदित नये कार्य | पूर्ण कार्यों की संख्या (प्रतिशत) | पूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में) | अपूर्ण कार्यों की संख्या (प्रतिशत में) | अपूर्ण कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में) | शुरू नहीं हुए कार्यों की संख्या (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 86887 | 84371 (97) | 631.91 | 1518 (02) | 71.55 | 998 (01) |
| 2020-21 | 75863 | 67562 (89) | 1700.97 | 5244 (07) | 230.85 | 3057 (04) |
| 2021-22 | 122842 | 96682 (79) | 2104.94 | 18412 (15) | 663.01 | 7748 (06) |
| 2022-23 | 32611 | 9930 (31) | 2212.55 | 18718 (57) | 641.53 | 3963 (12) |
| 2023-24 | 24264 | 2330 (10) | 204.67 | 18511 (76) | 865.16 | 3423 (14) |
| **योग** | **342467** | **260875 (76)** | **6855.04** | **62403 (18)** | **2472.10** | **19189 (06)** |

*(स्रोतः सितंबर 2025 में आयुक्त (मनरेगा योजना) द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना)*

**(अ) प्रगतिरत कार्य**

**तालिका 4.1** से देखा जा सकता है कि राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित 4.04 लाख (21 प्रतिशत) कार्य सितंबर 2025 तक अपूर्ण थे, जिनमें से 1.22 लाख (8 प्रतिशत) तीन वर्ष से अधिक समय से पूर्ण होने के लिए लंबित थे। यह भी देखा गया कि 2018-19 तक की अवधि के 0.42 लाख कार्य भी अपूर्ण थे, और इस प्रकार, सितंबर 2025 तक कुल 4.46 लाख कार्य अपूर्ण थे।

आगे, नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों (**तालिका 4.2**) में, 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित 0.62 लाख (18 प्रतिशत) कार्य सितंबर 2025 तक अपूर्ण थे, जिनमें से 0.25 लाख कार्य (9 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक समय से पूर्ण होने के लिए लंबित थे जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में विवरण दिया गया है।

नमूना जाँच किए गए 280 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि 116 कार्य (41 प्रतिशत), जिनकी लागत ₹8.57 करोड़ थी और जो कि 2019-20 से 2023-24 के बीच आरंभ हुए थे, पूर्ण होने के लिए लंबित थे। लेखापरीक्षा ने यह भी पाया कि इन 280 कार्यों में से 81 कार्य (29 प्रतिशत) जिन पर ₹5.57 करोड़ का व्यय हुआ था, गत 12 महीनों से चार वर्षों

तक निष्पादन में नहीं थे।

कार्य अधूरे रहने के मुख्य कारण सामग्री घटक के लिए निधि की अनुपलब्धता, श्रम की उपलब्धता व कार्य की मांग पर निर्भरता और स्थानीय समस्याएँ/अतिक्रमण आदि थे।

### (ब) शुरू नहीं किए गए कार्य

जैसा कि **तालिका 4.1** से देखा गया है, राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित 1.05 लाख कार्य (5 प्रतिशत) सितंबर 2025 तक शुरू नहीं हुए थे, जिनमें से 0.51 लाख कार्य (3 प्रतिशत) तीन वर्ष से ज़्यादा समय से शुरू नहीं हुए थे।

नमूना जाँच किए गए पाँच जिलों (**तालिका 4.2**) में, 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित 0.19 लाख कार्य (6 प्रतिशत) सितंबर 2025 तक शुरू नहीं हुए थे, जिनमें से 0.12 लाख कार्य (4 प्रतिशत) तीन वर्षों से अधिक समय तक शुरू नहीं हुए थे, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.1*** में विवरण दिया गया गया है।

विभाग ने अवगत कराया कि, ऐसे मामलों में जहाँ ग्राम पंचायत में पहले से ही अधिकतम 20 कार्य अधूरे/प्रगतिरत हैं, में नए कार्यों पर लगी सीमा के कारण नए कार्य शुरू नहीं किए जा सके।

चयनित 40 ग्राम पंचायतों में चयनित 280 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के दौरान किया गया। ऐसे महत्वपूर्ण मामले जहाँ स्वीकृति के 2 से 5 वर्षों के बाद भी कार्य पूर्ण नहीं हुए/शुरू नहीं हुए उनका विवरण नीचे दिया गया है :

| | | |
|---|---|---|
| **शुरू नहीं हुए/ प्रगतिरत कार्य** | | |
| **1. (ब्लॉक-लाडपुरा) जिला-कोटा** | | |
| कार्य का नाम | राज के कुएं से व्यास बावड़ी तक ग्रेवल सड़क तथा सड़क बनाने का कार्य, मंडाना (लाडपुरा) | |
| कार्य का क्षेत्र | कार्य का क्षेत्र "मिट्टी का काम, ग्रेवल का परिवहन, ग्रेवल बिछाना/फैलाना और कॉम्पेक्शन" | |
| स्वीकृत राशि | ₹14.91 लाख (अगस्त 2022) | |
| व्यय | ₹1.55 लाख | |
| कार्य की स्थिति | प्रगतिरत | |
| भौतिक सत्यापन | अक्टूबर 2024 | |
| आक्षेप | भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2024) के दौरान, यह देखा गया कि स्वीकृति के दो वर्षों से ज़्यादा समय व्यतीत होने के पश्चात् भी, सिर्फ़ मिट्टी का काम शुरू हुआ था। पानी भरने की वजह से सड़क पर बहुत ज़्यादा कीचड़ जमा हो गई थी। कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने बताया कि गांव से बारिश का पानी जमा होने की वजह से सड़क खराब हो गई है और कार्य जल्द ही पूर्ण कर लिया जाएगा। | |

| | | |
|---|---|---|
| **2. (ब्लॉक-लाडपुरा) जिला-कोटा** | | |
| कार्य का नाम | सार्वजनिक पार्क निर्माण कार्य बाग भूमि, रंगपुर (लाडपुरा) | |
| कार्य का क्षेत्र | सामुदायिक उपयोग के लिए बंजर भूमि को समतल करना और आकार देना। | |
| स्वीकृत राशि | ₹10.00 लाख (23.11.2022) | |
| व्यय | ₹400 मात्र | |
| कार्य की स्थिति | प्रगतिरत | |
| भौतिक सत्यापन | अक्टूबर 2024 | |
| आक्षेप | कार्यस्थल पर अतिक्रमण था, जिसके कारण स्वीकृति के दो वर्ष पश्चात् भी काम शुरू नहीं हो पाया था।<br>ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक पार्क की जगह से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किए जा चुके हैं। | |
| **3. (ब्लॉक-लाडपुरा) जिला-कोटा** | | |
| कार्य का नाम | चारागाह विकास एवं वृक्षारोपण कार्य, कसार (लाडपुरा) | 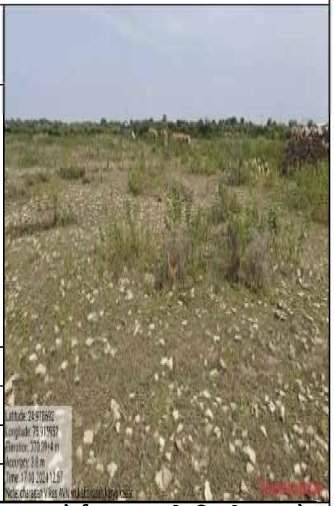 |
| कार्य का क्षेत्र | चारागाह का विकास और पौधारोपण (2160 वानिकी पौधे और 499 बागवानी पौधे लगाए जाने थे), खाई की बाड़ लगाना, कंटूर ट्रेंच बनाना, तालाब खोदना, खाद और कीटनाशक खरीदना, पौधों की सुरक्षा के लिए देखभाल और रखवाली करना। | |
| स्वीकृत राशि | ₹21.55 लाख (01.03.2019) | |
| व्यय | ₹5.31 लाख | |
| कार्य की स्थिति | प्रगतिरत | |
| भौतिक सत्यापन | अक्टूबर 2024 | |
| आक्षेप | पौधों की सुरक्षा के लिए चारागाह भूमि पर कोई बाड़ नहीं मिली। इसके अलावा, मार्च 2024 तक लगभग 2659 पौधे लगाए और उगाए जाने थे, लेकिन ऐसी कोई प्रगति नहीं दिखी।<br>कनिष्ठ तकनीकी सहायक ने बताया कि चारागाह जमीन पर लोग कब्ज़ा कर रहे हैं और बाड़ न होने के कारण पौधे बच नहीं पाए क्योंकि उन्हें जानवर खा जाते थे।<br>इस तरह, चारागाह जमीन के विकास और पौधारोपण का अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त नहीं हुआ। | |
| **4. (ब्लॉक-सज्जनगढ़) जिला-बांसवाडा** | | |
| कार्य का नाम | 'ग्रेवल सड़क मय पुलिया राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल महुडी से मछारफला मुख्य सड़क तक, महुडी (सज्जनगढ़) | |
| कार्य का क्षेत्र | कार्य का क्षेत्र "मिट्टी का काम, ग्रेवल का परिवहन ग्रेवल बिछाना/फैलाना और कॉम्पेक्शन लंबाई 450 मीटर और चौड़ाई 7.5 मीटर" | |

| | | |
|---|---|---|
| स्वीकृत राशि | ₹6.96 लाख (02.03.2022) | |
| व्यय | ₹5.27 लाख | |
| कार्य की स्थिति | प्रगतिरत | |
| भौतिक सत्यापन | सितम्बर 2024 | |
| आक्षेप | ग्रेवल सड़क निर्मित पाई गई, लेकिन मच्छरफला की तरफ सड़क की चौड़ाई 15 मीटर लंबाई तक सिर्फ एक मीटर पाई गई थी। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि ग्रेवल सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण के कारण इसकी चौड़ाई कम हो गई है। ग्राम विकास अधिकारी का यह कथन स्वीकार्य नहीं था क्योंकि प्राक्कलन साइट की जरूरत और सड़क के अलाइनमेंट के अनुसार तैयार किया गया था। इसके अलावा, दो वर्ष व्यतीत होने के बाद भी सड़क अधूरी थी। | |

## 4.2 टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण

परिचालन दिशानिर्देशों के अनुच्छेद 7.1.5 के अनुसार, केवल उन्ही कार्यों का निर्माण करवाया जा सकता है जिनसे टिकाऊ परिसंपत्ति सृजित हो और गरीब ग्रामीणों के आजीविका संसाधनों को मज़बूती मिले।

लेखापरीक्षा ने चयनित 40 ग्राम पंचायतों में, सीसी सड़कों, ग्रेवल सड़कों, मॉडल तालाबों, पशु शेड, ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण, चेक डैम, वृक्षारोपण और पारंपरिक जल स्रोतों के नवीनीकरण आदि से संबंधित चयनित 280 कार्यों के अभिलेखों की संवीक्षा की। टिकाऊ परिसंपत्तियों के निर्माण में पाई गई कमियां नीचे दिए गए अनुच्छेदों में दी गई हैं:

### *4.2.1 सामग्री के उपयोग के बिना कार्य पूर्ण किए गए*

ग्रेवल सड़क निर्माण, नहर के सुदृढ़ीकरण, चारागाह में 'तलाई' (छोटा तालाब) निर्माण और तालाब निर्माण से संबंधित चयनित चार कार्यों के भौतिक सत्यापन के दौरान पाया गया कि हालांकि इन कार्यों को ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दिखाए गए थे, फिर भी इन कार्यों में सामग्री घटक पर कोई व्यय नहीं किया गया था। इन चार कार्यों की अनुमानित लागत ₹ 41.53 लाख थी और सामग्री घटक के लिए ₹ 9.18 लाख का प्रावधान शामिल था।

यह देखा गया कि केवल श्रम से संबंधित भाग ही पूर्ण किए गए थे और इन कार्यों को पूर्ण करने में किसी भी सामग्री का उपयोग नहीं किया गया था। इसलिए, भले ही कार्य पूर्ण दर्शाए गए हों, परन्तु वास्तव में, ये कार्य अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्ण नहीं हुए थे। विवरण नीचे दिए गए हैं:

(i) ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य, जिसकी अनुमानित लागत ₹14.99 लाख थी और जिसमें ₹3.15 लाख की सामग्री का प्रावधान था, जुलाई 2024 में ₹11.78 लाख व्यय करने के पश्चात् पूर्ण दर्शाया गया। यह देखा गया कि सिर्फ़ मिट्टी का कार्य श्रमिकों से करवाया गया था, और ग्रेवल जिसका निर्माण में इस्तेमाल होना था, जैसा कि प्राक्कलन में प्रावधान था, खरीदी ही नहीं गई थी।

*'ग्रेवल सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य सीमलिया रोड से छोटी देहडी तक', ग्राम पंचायत, कनवास, पंचायत समिति -सांगोद (कोटा) संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2024)*

(ii) नहर[1] के सुदृढ़ीकरण करने से संबंधित कार्य ₹ 2.83 लाख की लागत से पूर्ण किये जाने का अनुमान था, जिसमें सामग्री के लिए ₹1.13 लाख का प्रावधान था। हालांकि, ₹1.70 लाख व्यय करने के बाद कार्य को ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाया गया, लेकिन पूर्ण किए गए कार्य की कोई भी फ़ोटोग्राफ ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में अपलोड नहीं की गई है। इसके अलावा, पूर्ण हो चुके कार्य की 3 स्टेज जियो-टैग वाली फ़ोटोग्राफ भी 'भुवन ऐप' पर अपलोड नहीं की गई थी।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि सिर्फ़ गाद हटाने का काम किया गया था, और मरम्मत/सुदृढ़ीकरण के कार्य के लिए कोई भी सामग्री (सीमेंट, मिस्त्री और रेत वगैरह) नहीं खरीदी गई थी। इस तरह, सुदृढ़ीकरण का कार्य नहीं किया गया, जबकि अक्टूबर 2023 में कार्य पूर्ण दर्शाया गया था।

*'मंडेला माइनर की आरडी 5 किमी से टेल का जंगल सफाई सिल्ट सफाई एवं सुदृढ़ीकरण कार्य'। ग्राम पंचायत-जगपुरा, पंचायत समिति-घाटोल (बांसवाड़ा)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024)*

[1] माइनर एक छोटी नहर है जो सिंचाई के लिए खेतों तक पानी ले जाने के लिए फील्ड चेनलों को पानी उपलब्ध कराती है।

(iii) चारागाह में 'तलाई निर्माण' से संबंधित कार्य ₹ 9.44 लाख की अनुमानित लागत से किया जाना था, जिसमें सामग्री के लिए ₹ 2.11 लाख का प्रावधान था। इस कार्य को सितंबर 2021 में ₹ 6.97 लाख व्यय करने के पश्चात् पूर्ण दर्शाया गया था। भौतिक सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि जंगल वाले इलाके में सिर्फ़ छोटे-छोटे गड्ढे खोदे गए थे, जो कि गाँव से बहुत दूर थे और इसलिए ग्रामीणों के लिए किसी उपयोग के नहीं थे।

*'चारागाह में तलाई निर्माण, कीर खेड़ा', ग्राम पंचायत-चाकुड़ा, पंचायत समिति -कपासन, (चित्तौड़गढ़)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024)*

(iv) इस कार्य का कार्य-क्षेत्र तालाब के चारों ओर से रेत खोदना, तालाब की मौजूदा बाहरी दीवार की ऊंचाई बढ़ाना और पत्थर लगाने का कार्य करना था। इस कार्य की अनुमानित लागत ₹14.27 लाख थी, जिसमें ₹ 2.79 लाख की सामग्री का प्रावधान था। यह देखा गया कि दीवार की ऊंचाई बढ़ाने के लिए सिर्फ़ तालाब के चारों ओर से रेत खोदी गई थी, लेकिन दीवार पर पत्थर लगाने का कार्य नहीं किया गया था। इस कार्य को दिसंबर 2020 में पूर्ण दिखाया गया, जिसमें कुल ₹10.94 लाख व्यय हुए ।

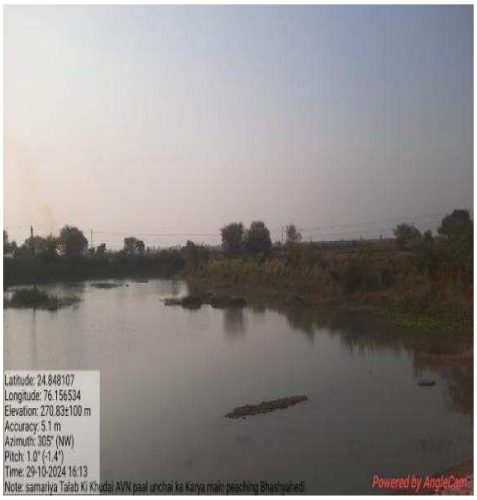


*'सामरिया तालाब की खुदाई एवं पाल ऊंची करने में पिचिंग कार्य' ग्राम पंचायत-बश्याहेडी, पंचायत समिति सांगोद (कोटा)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2024)*

इस प्रकार, बिना कोई सामग्री के उपयोग किए इन कार्यों को पूर्ण करने के कारण, अपेक्षित टिकाऊ सम्पतियों का सृजन नहीं हुआ, जिससे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत इस सीमा तक ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ अवसंरचना बनाने का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। इसके अलावा, हालांकि ये सभी काम ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाए गए थे और 'भुवन ऐप' पर जियो-टैग भी किए गए थे, लेकिन पूर्ण हुए कार्यों की कोई भी

फोटोग्राफ ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में अपलोड नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि चित्तौड़गढ़ जिले में सरपंचों द्वारा कम रूचि लेने के कारण टिकाऊ परिसम्पतियों का निर्माण नहीं किया जा सका, क्योंकि गत वर्षों में सामग्री मद के तहत राज्य सरकार से समय पर निधियां प्राप्त नहीं हुई (जैसा कि अनुच्छेद 2.10 में बताया गया है)। अन्य जिलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया।

### *4.2.2 पारम्परिक जल स्रोतों के रूप में मॉडल तालाबों का विकास*

ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा जारी निर्देशों (जून 2014) के अनुसार, प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक पारंपरिक जल स्रोत को मॉडल तालाब के रूप में इस तरह से विकसित किया जाना था कि ग्रामीण जनता के लाभ और क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें मजबूत और सुंदर बनाया जा सके, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छा वातावरण बने और उनकी पूरी उपयोगिता सुनिश्चित हो सके।

मॉडल तालाबों के विकास के लिए सुविधाएँ जैसेः मॉडल तालाब में पानी के प्रवाह की व्यवस्था, पाल का निर्माण, पिचिंग और अग्रभाग का निर्माण, मवेशियों की सुविधा के लिए पाल पर पत्थरों की पिचिंग (ढलान वाली खुर), लंबे समय तक चलने वाले छायादार पौधों का रोपण, ग्रामीणों के नहाने और कपड़े धोने के लिए पक्के चबूतरे और पक्के घाट निर्मित किए जाने थे।

चयनित दो ग्राम पंचायतों में दो मॉडल तालाबों के संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितम्बर व नवंबर 2024) के दौरान यह पाया गया कि ₹45.41 लाख व्यय करने के पश्चात् भी, मॉडल तालाबों में उपरोक्त सुविधाएं निर्मित नहीं की गई और केवल मिट्टी/खुदाई का कार्य किया गया। सुविधाओं के निर्माण के अभाव में, ग्रामीण सार्वजनिक सुविधाओं से वंचित रहे और पारंपरिक जल स्रोतों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने का उद्देश्य प्राप्त नहीं किया जा सका। दो मॉडल तालाबों का विवरण नीचे दिया गया हैः

(i) **कार्य का नाम:** मॉडल तालाब निर्माण कार्य, जाकड़खेड़ा रोलिया (पंचायत समिति - कपासन, चित्तौड़गढ़)

स्वीकृत राशि: ₹ 37.78 लाख

व्यय राशि: ₹ 20.70 लाख

कार्य पूर्ण : जुलाई 2022

आक्षेप: सामग्री घटक के लिए ₹14.92 लाख रुपये का प्रावधान था, जिसका प्राक्कलन बांध और पिचिंग कार्य, घाट निर्माण, चबूतरा निर्माण, फेस वॉल और वेस्टवेयर निर्माण के लिए, किया गया था। हालांकि, सितंबर 2024 में किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान ऐसा कोई निर्माण नहीं पाया गया और सिर्फ खुदाई/मिट्टी का कार्य ही किया हुआ पाया गया।

(ii) **कार्य का नाम:** आदर्श तालाब विकास कार्य रावड़ीचक, मंडई (पंचायत समिति- फतेहगढ़, जैसलमेर)।

स्वीकृत राशि: ₹ 36.52 लाख

व्यय राशि: ₹ 24.71 लाख

कार्य पूर्ण: मई 2025

आक्षेप: सुरक्षा दीवार और चबूतरा निर्माण तथा पौधारोपण कार्य के लिए ₹ 8.06 लाख का प्रावधान किया गया था। हालांकि, नवंबर 2024 में जब कार्य प्रगतिरत था, तब किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कोई सुरक्षा दीवार या चबूतरा निर्मित नहीं पाया गया।
अब इस कार्य को ऑनलाइन सम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाया गया है (मई 2025) और परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण हुई सम्पत्ति पर सामग्री मद पर व्यय 'शून्य' दर्शाया गया है।

इसके अलावा, हालांकि ऊपर बताए गए कार्य ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाए गए हैं और 'भुवन ऐप' पर जियो-टैग भी किए गए हैं, लेकिन ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण हो चुके कार्यों की कोई भी फ़ोटोग्राफ अपलोड नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने अवगत (जून 2025) कराया कि पारंपरिक जल स्रोतों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

### *4.2.3 कार्य-क्षेत्र के अनुसार कार्य निष्पादन नहीं करना*

सड़क निर्माण (इंटरलॉकिंग/खरंजा/ग्रेवल) और 'सिंचाई नाली निर्माण' के चार कार्य ₹41.11 लाख की लागत से स्वीकृत किए गए थे और ₹29.31 लाख व्यय कर पूर्ण किए गए। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान, यह देखा गया कि ये कार्य, कार्य के स्वीकृत क्षेत्र के अनुसार निष्पादित

नहीं किए गए थे, इसलिए, कार्य अपेक्षित उद्देश्य के लिए उपयोग योग्य नहीं थे, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

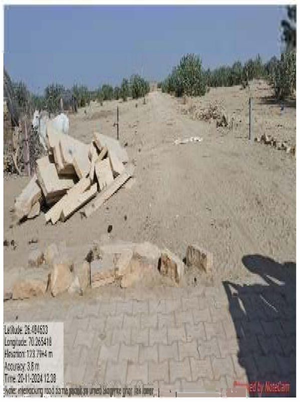

(i) "इंटरलाकिंग निर्माण कार्य डामर सड़क से 'एक्स' के घर तक लुन्नार, पंचायत समिति -सम (जैसलमेर)" का कार्य ₹ 9.92 लाख का स्वीकृत किया गया था और ₹ 9.57 लाख व्यय कर पूर्ण किया गया (मार्च 2024)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान पाया गया कि इंटरलाकिंग सड़क 'एक्स' के घर के सामने सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर बनाई गई थी। इंटरलाकिंग सड़क डामर सड़क (शुरुआती पॉइंट) से जुड़ी हुई नहीं थी। इस तरह, कनेक्टिविटी का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ। इंटरलाकिंग सड़क के साइड पैकिंग का कार्य भी नहीं किया गया था।

(ii) इंटरलाकिंग रोड 'डामर सड़क से 'वाई' 'जेड' के घर तक' लुन्नार, पंचायत समिति-सम (जैसलमेर) का कार्य ₹ 7.19 लाख का स्वीकृत किया गया था और ₹ 6.96 लाख का व्यय कर पूर्ण किया गया (मार्च 2024)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (नवंबर 2024) के दौरान पाया गया कि इंटरलाकिंग रोड डामर रोड (शुरुआती पॉइंट) से जुडी हुई नहीं थी, बल्कि सड़क की चौड़ाई बढ़ाकर 'वाई' से 'जेड' के घर तक निष्पादित किया गया था।

(iii) ग्रेवल सड़क 'मंडाना मेन रोड से हनोतिया लिंक रोड की ओर' का कार्य, मंडना, पंचायत समिति, लाडपुरा (कोटा) के लिए ₹ 8.48 लाख का स्वीकृत किया गया और नरेगा-सॉफ्ट पर ₹ 5.37 लाख व्यय कर पूर्ण दर्शाया गया था (जुलाई 2024)। संयुक्त भौतिक सत्यापन (अक्टूबर 2024) के दौरान पाया गया कि ग्रेवल सड़क अधूरी थी जैसे कि ग्राम विकास अधिकारी ने बताया की अतिक्रमण के कारण 200 मीटर सड़क अभी भी नहीं बनी थी।

(iv) सिंचाई नाली निर्माण खेड़ावाला काड से डाबरिया वाला काड की ओर नागनसेल, चिरावाला गड़ा (घाटोल) ('सामुदायिक फीडर नहर का निर्माण') का कार्य ₹14.52 लाख का स्वीकृत किया गया (मार्च 2021) और ₹ 7.41 लाख की लागत से पूर्ण किया (सितंबर 2024)। हालांकि, संयुक्त भौतिक सत्यापन (सितंबर 2024) के दौरान, यह देखा गया कि सिर्फ़ सिंचाई नहर बनी हुई थी। लेकिन, यह स्रोत से जुड़ी हुई नहीं थी। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि 'साइफन' जल्द ही बनाए जाएगा और स्रोत से जोड़ दिए जाएगा।

इसके अलावा, यद्यपि ये सभी कार्य ऑनलाइन परिसम्पत्ति रजिस्टर में पूर्ण दर्शाए गए थे तथा भुवन ऐप पर जियो-टैग किए गए हैं, हालाँकि पूर्ण हो चुके कार्य की कोई भी फ़ोटोग्राफ ऑनलाइन सम्पत्ति रजिस्टर में अपलोड नहीं की गई है।

## 4.3 कार्यों की जियो-टैगिंग

योजना में पारदर्शिता को बेहतर बनाने और इसकी स्पष्टता बढ़ाने के उद्देश्य से, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (इसरो) के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) की साझीदारी में, योजनान्तर्गत बनाई गई परिसम्पत्ति की जियो-टैगिंग के लिए जियो-मनरेगा का क्रियान्वयन शुरू किया। इस उद्देश्य के लिए एनआरएससी के 'भुवन जियोपोर्टल' को कस्टमाइज्ड किया गया है।

जियो-टैगिंग भुवन मोबाइल प्लेटफार्म के माध्यम से एंड्राइड आधारित मोबाइल ऐप से उपयोग करके की जाती है, जिसका उपयोग फील्ड-लेवल के डेटा को कैप्चर करने के साथ-साथ परिसम्पत्ति विजुअलाइजेशन क्षमताओं और रिपोर्ट जनरेशन टूल के लिए किया जाता है। इसमें परिसम्पत्ति की जीपीएस लोकेशन को तस्वीरों के साथ कैप्चर करना शामिल है। जियो-मनरेगा फेज़-II के तहत, जिसे 01 नवंबर 2017 के बाद बनाई गई सभी परिसंपत्तियों (पीएम्एवाई के तहत किए गए कार्यों को छोड़कर) की जियो-टैगिंग के लिए लागू किया गया था, जियो-टैगिंग को नीचे वर्णित तीन चरणों में किया जाना थाः

• स्टेज 1 जियो-टैगिंग (कार्य शुरू होने से पहले): यह उन कार्यों पर की जानी है जिनकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है और जिनकी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नरेगा-सॉफ्ट में जमा हो चुकी है।

• स्टेज 2 जियो-टैगिंग (कार्य के दौरान): जब कार्य की अनुमानित लागत का 30 प्रतिशत व्यय के रूप में दर्ज हो जाता है, तो वह कार्य स्टेज-2 जियो-टैगिंग के लिए उपलब्ध होगा।

• स्टेज 3 जियो-टैगिंग (कार्य पूर्ण होने के पश्चात्): जब कार्य पूर्ण हो जाता है और नरेगा-सॉफ्ट पर बंद हो जाता है, तो यह स्टेज-3 जियो-टैगिंग के लिए उपलब्ध होता है।

चयनित 10 पंचायत समितियों में तीन चरणों में जियो-टैगिंग की स्थिति नीचे **तालिका 4.3** में दर्शाई गई है:

**तालिका 4.3: चयनित 10 पंचायत समितियों में कार्यों की जियो-टैगिंग की स्थिति**

| विवरण | स्टेज I | स्टेज II | स्टेज III | कुल (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|
| कार्यों की संख्या | 31,237 | 28,040 | 15,190 | 74,467 |
| कार्यों की संख्या जिनमें जियो-टैगिंग पूर्ण हो चुकी थी | 28,515 | 23,989 | 14,169 | 66,673 |
| ऐसे कार्यों की संख्या जो कि एनआरएससी के भुवन जियोपोर्टल के साथ साझा किए गए लेकिन जियो-टैग नहीं किए गए। | 162 | 503 | 1,021 | 1,686 (2.26) |
| ऐसे कार्यों की संख्या जो कि जियो-टैगिंग के लिए साझा नहीं किए गए | 2,560 | 3,548 | - | 6,108 (8.20) |

*स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड किए गए डेटा (अक्टूबर 2025) के आधार पर संकलित।*

ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि चयनित 10 पंचायत समितियों में अक्टूबर 2025 तक 10 प्रतिशत कार्यों की जियो-टैगिंग विभिन्न चरणों में लंबित थी।

## 4.4 मनरेगा योजना के साथ योजनाओं का अभिसरण

परिचालन दिशानिर्देश (अनुच्छेद 15.1.1), टिकाऊ परिसम्पत्ति बनाने के लिए योजना निधि को दूसरी योजनाओं और स्रोतों की निधिओं के साथ अभिसरण करने की स्वीकृति देता है। अभिसरण के तहत किए गए कार्यों में आंगनवाड़ी/अन्य ग्रामीण अवसंरचना का निर्माण, व्यक्तिगत भूमि पर कार्य (आवास योजना), सूखा निवारण, ग्रामीण सम्पर्क और ग्रामीण स्वच्छता, जल संरक्षण और जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण आदि शामिल हैं।

2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान, राज्य में शुरू किए गए अभिसरण योजनाओं की संख्या **तालिका 4.4** में दी गई है।

**तालिका 4.4: राज्य में अभिसरण के तहत शुरू की गई योजनाएँ**

| वर्ष | अभिसरण के तहत स्वीकृत योजनाएँ | अभिसरण कार्य जो पूर्ण हो चुके हैं | पूर्ण हुए अभिसरण कार्यों का प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 382806 | 36964 | 9.66 |
| 2020-21 | 281097 | 39546 | 14.07 |
| 2021-22 | 407793 | 46732 | 11.46 |
| 2022-23 | 33365 | 10042 | 30.10 |
| 2023-24 | 31009 | 2583 | 8.33 |
| **योग** | **1136070** | **135867** | **11.96** |

*स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड डेटा (सितंबर 2025) के आधार पर संकलित।*

ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि 2019-20 से 2023-24 की अवधि के दौरान अभिसरण के कुल 11.36 लाख कार्य अनुमोदित किए थे, जिनमें से 1.36 लाख कार्य (11.96 प्रतिशत) पूर्ण हुए थे।

लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि राज्य में 2019-20 से 2023-24 के दौरान अनुमोदित किए कुल 11.36 लाख अभिसरण कार्यों में से 10.53 लाख (92.65 प्रतिशत) कार्य प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएम्एवाई) के तहत थे, जैसा कि **तालिका 4.5** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.5: अभिसरण के अंतर्गत अनुमोदित पीएमएवाई योजना तथा अभिसरण के तहत अनुमोदित कुल योजना**

| वर्ष | अभिसरण के तहत अनुमोदित योजनाएँ | पीएमएवाई अभिसरण के अनुमोदित कार्य | कुल अभिसरण योजनाओं में पीएम्एवाई कार्यों का प्रतिशत | कुल पीएमएवाई के पूर्ण कार्य (प्रतिशत) | पीएमएवाई अभिसरण के अलावा अनुमोदित कार्य | पीएमएवाई अभिसरण के अलावा पूर्ण कार्य (प्रतिशत) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-20 | 382806 | 374599 | 97.86 | 32943(8.79) | 8207 | 4021(48.99) |
| 2020-21 | 281097 | 266257 | 94.72 | 31416(11.80) | 14840 | 8130(54.78) |
| 2021-22 | 407793 | 386113 | 94.68 | 38163(9.88) | 21680 | 8569(39.52) |
| 2022-23 | 33365 | 10786 | 32.33 | 3195(29.62) | 22579 | 6847(30.32) |
| 2023-24 | 31009 | 14802 | 47.73 | 637(4.30) | 16207 | 1946(12.01) |
| **योग** | **1136070** | **1052557** | 92.65 | **106354(10.10)** | **83513** | **29513(35.34)** |

*स्रोतः नरेगा-सॉफ्ट से डाउनलोड डेटा (सितंबर 2025) के आधार पर संकलित।*

ऊपर दी गई तालिका दर्शाती है कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान कुल अभिसरण कार्यों में पीएमएवाई अभिसरण कार्यों का अनुपात 32.33 प्रतिशत (2022-23) से 97.86 प्रतिशत (2019-20) के बीच रहा। अनुमोदित कार्यों की तुलना में पूर्ण किए गए पीएमएवाई कार्यों का अनुपात 4.30 प्रतिशत (2023-24) और 29.62 प्रतिशत (2022-23) के बीच रहा, जबकि पीएमएवाई के अलावा अन्य कार्यों को पूर्ण करने का अनुपात 12.01 प्रतिशत (2023-24) और 54.78 प्रतिशत (2020-21) के बीच रहा।

### 4.4.1 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के साथ अभिसरण के तहत ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण

परिचालन दिशानिर्देश दर्शाते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्यों, यानी टिकाऊ परिसंपत्ति का निर्माण और ग्रामीण परिवारों की आजीविका सुरक्षित करना,

को ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध अन्य कार्यक्रमों/योजनाओं[2] के संसाधनों के साथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों के अभिसरण के माध्यम से सुगम बनाया जा सकता है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों (जून और अगस्त 2020) के अनुसार, नव सृजित ग्राम पंचायतों के लिए ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण ₹ 20 लाख[3] प्रति भवन की लागत से किया जाना था, जिसे अगस्त 2020 में संशोधित करके ₹ 50 लाख[4] कर दिया गया। दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्राम पंचायत भवन और परिसर में चार दीवारी, पौधारोपण, आंतरिक सड़क, वर्षा जल संचयन संरचना, बैठने के लिए पेड़ के नीचे चबूतरा आदि जैसे अन्य कार्य भी किए जाने थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि चयनित पांच जिलों में से दो (बांसवाड़ा और जैसलमेर) में, जिला कलेक्टरों ने 15वें वित्त आयोग के अनुदान और अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण के तहत 2019-24 के दौरान ₹ 57.64 करोड़[5] की लागत से 139 ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण की स्वीकृति जारी की। ये भवन स्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के भीतर निर्मित किए जाने थे। इन 139 भवनों में से, 116 भवन[6] पूर्ण हो चुके थे और 23 भवन अधूरे थे/शुरू नहीं[7] हुए थे, जैसा कि फील्ड अध्ययन (जुलाई और नवंबर 2024) के दौरान पाया गया। ग्राम पंचायत भवनों के निर्माण का विवरण **परिशिष्ट 4.2** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि सभी विकास अधिकारियों को अधूरे ग्राम पंचायत भवनों को पूर्ण करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं और शेष ग्राम पंचायत भवन शीघ्र ही पूर्ण कर लिए जाएंगे।

---

[2] पीएमएवाई, एमएलएएलएडी, एमपीएलएडी, राज्य वित्त आयोग अनुदान, केंद्र वित्त आयोग अनुदान आदि।

[3] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ₹ 10 लाख और 15वें वित्त आयोग से ₹ 10 लाख उपलब्ध कराए जाने थे।

[4] महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से ₹ 21.50 लाख, 15वें वित्त आयोग से ₹ 18 लाख और अन्य योजनाओं के लिए ₹10.50 लाख।

[5] बांसवाड़ा में ₹33.63 करोड़ की लागत से 73 ग्राम पंचायत भवन और जैसलमेर जिले में ₹24.01 करोड़ की लागत से 66 ग्राम पंचायत भवन।

[6] बांसवाड़ा में 61 भवनों के निर्माण पूर्ण हुए (जिस पर ₹26.05 करोड़ का व्यय हुआ) और जैसलमेर में 55 भवनों के निर्माण पूर्ण हुए (जिस पर ₹19.77 करोड़ का व्यय हुआ)।

[7] बांसवाड़ा जिले में 12 भवन अधूरे थे/शुरू नहीं हुए थे (ग्राम पंचायत भवन 2020-24 के बीच स्वीकृत {2020-21:8, 2021-22:4} और व्यय ₹2.16 करोड़) और जैसलमेर में 11 भवन (ग्राम पंचायत भवन 2020-24 के बीच स्वीकृत {2020-21:2, 2021-22:5, 2022-23:3, 2023-24:1} और व्यय ₹2.29 करोड़)।

## 4.5 कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर व्यय

मनरेगा की अनुसूची 1 के अनुच्छेद 4 के उप-अनुच्छेद (2) के नीचे परन्तुक (जुलाई 2014 के संशोधन के अनुसार) अनुबंध करते है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेगा कि किसी जिले में किए जाने वाले कार्यों में से, लागत के अनुसार कम से कम 60 प्रतिशत कार्य भूमि, जल तथा वृक्षों के विकास के जरिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़े उत्पादक परिम्पतियों के निर्माण के लिए हो।

लेखा परीक्षा में पाया गया कि 2019-24 के दौरान राज्य में केवल दो से पाँच जिलों ने ही कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों से संबंधित कार्यों पर कम से कम 60 प्रतिशत व्यय सुनिश्चित किया, जैसा कि **तालिका 4.6** में दर्शाया गया है।

**तालिका 4.6: कृषि और संबद्ध गतिविधियों पर व्यय करने वाले जिलों का विवरण**

| वर्ष | 60 प्रतिशत से कम व्यय वाले जिलों की संख्या | 60 प्रतिशत या उससे अधिक व्यय वाले जिलों की संख्या | कृषि और संबंधित कार्यों पर व्यय (₹ करोड़ में) |
|---|---|---|---|
| 2019-20 | 30 | 3 | 2996.47 |
| 2020-21 | 28 | 5 | 4491.64 |
| 2021-22 | 28 | 5 | 4990.54 |
| 2022-23 | 31 | 2 | 4268.82 |
| 2023-24 | 30 | 3 | 4949.81 |

*(स्रोत-नरेगा-सॉफ्ट की एमआईएस रिपोर्ट)*

इसके अतिरिक्त, चयनित पाँच जिलों में, 2019-20 से 2023-24 के दौरान कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से संबंधित कार्यों की लागत 60 प्रतिशत से कम थी (2023-24 के दौरान बांसवाड़ा जिले को छोड़कर) और यह 20.71 प्रतिशत से 55.70 प्रतिशत के बीच थी, जैसा कि ***परिशिष्ट 4.3*** में विस्तार से बताया गया है।

कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों से सीधे जुड़े, कम से कम 60 प्रतिशत कार्य नहीं करने के कारण स्थाई आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता।

## 4.6 प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन कार्यों पर व्यय

वार्षिक मास्टर परिपत्र 2019-20 का अनुच्छेद 6.1.10 यह अनुबंध करता है कि जिला कार्यक्रम समन्वयक यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य योजना इस तरह से हो कि चिन्हित 'मिशन जल संरक्षण' ब्लॉकों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत, कम से कम 65 प्रतिशत

व्यय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (एनआरएम) के कार्यों, जैसे कि जल संरक्षण और संचयन, सूखा निवारण, पारंपरिक जल स्रोतों का नवीनीकरण आदि पर हो।

राजस्थान में 'मिशन जल संरक्षण' के तहत 246 ब्लॉक चिन्हित किए गए थे। इन 246 ब्लॉकों में से, नमूना जाँच किए गए दस में से सात ब्लॉक 'मिशन जल संरक्षण' के तहत कवर थे। इन सात ब्लॉकों में एनआरएम कार्यों पर किए गए व्यय के प्रतिशत का विवरण, जैसा कि कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा (जुलाई से नवंबर 2024) प्रदान किया गया है, नीचे **तालिका 4.7** दिया गया है।

**तालिका 4.7: एनआरएम कार्यों पर व्यय का प्रतिशत**

| ब्लॉकों के नाम | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|
| सांगोद | **73.59** | **70.55** | 60.78 | **74.37** | 16.34 |
| लाडपुरा | **82.45** | **73.01** | **76.72** | **68.37** | **68.42** |
| सम | - | - | 57.49 | 30.84 | 25.61 |
| कपासन | **70.69** | 36.33 | 51.19 | 46.24 | 64.95 |
| बड़ी सादडी | 53.92 | 34.52 | 36.97 | 55.80 | **69.68** |
| लाडनूं | 59.96 | 59.99 | 56.56 | 59.88 | 30.22 |
| मकराना | 31.26 | 58.84 | 52.21 | 39.88 | 62.57 |

*(स्रोतः संबंधित ब्लॉकों द्वारा प्रदान की गई सूचना)*

ऊपर दी गई तालिका से पता चलता है कि 2019-24 की अवधि के दौरान एनआरएम कार्यों पर कम से कम 65 प्रतिशत व्यय सभी पांच वर्षों में केवल एक ब्लॉक (लाडपुरा) में किया गया और सांगोद ब्लॉक में यह तीन वर्ष और कपासन और बड़ीसादड़ी ब्लॉक में केवल एक वर्ष में किया गया। 2019-24 के दौरान सम, लाडनूं और मकराना ब्लॉक में एनआरएम कार्यों पर व्यय का अनिवार्य प्रतिशत वहन नहीं किया गया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि सभी जिलों को एनआरएम श्रेणी के अंतर्गत अधिक से अधिक कार्य प्राथमिकता के आधार पर करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

## 4.7 ग्रामीण कार्य निर्देशिका के अनुसार इंटरलॉकिंग सड़कों के लिए स्वीकृति

ग्रामीण कार्य निर्देशिका[8] 2010 के पॉइंट 7.4.5 के नोट-7 के अनुसार, "सड़क कार्यों की तकनीकी और वित्तीय स्वीकृति में, कार्य के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य है, उदाहरण के

[8] ग्रामीण कार्य निर्देशिका-2010, राजस्थान सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के तहत किए जा रहे विकास कार्यों के क्रियान्वयन के लिए जारी किया गया एक दिशानिर्देश है।

लिए, "ए" गाँव से "बी" गाँव तक ("0" किमी से "3.5" किमी तक, अर्थात् जो भी वास्तविक स्थिति हो), यदि उक्त सड़क पूर्व में ही "0" से "1.0" किमी तक निर्मित है या किसी अन्य योजना में अनुमोदित है, तो कार्यों के अनुमोदन में ("1" किमी से "3.5" किमी तक, जो भी वास्तविक स्थिति हो) का स्पष्ट विवरण देना अनिवार्य है।"

पंचायत समिति, सम (जिला-जैसलमेर) की चयनित चार ग्राम पंचायतों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान पाया कि 2019-20 से 2023-24 के दौरान इन चार ग्राम पंचायतों में ₹ 6.23 करोड़[9] के निष्पादित किए गए 89 इंटरलॉकिंग/ग्रेवल/खरंजा सड़क कार्यों में प्रारम्भिक और अंतिम बिंदु उल्लेखित नहीं थे और स्वीकृति उन व्यक्तियों के नाम पर जारी की गई थी जिनके घर, निर्मित सड़कों के पास स्थित थे।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि कार्य तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निष्पादित किए गए हैं एवं सभी कार्यक्रम अधिकारियों को कार्यों का निष्पादन तकनीकी प्राक्कलन के अनुसार प्रारम्भिक बिंदु से करने के निर्देश जारी किए गए हैं।

यह जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कार्य ग्रामीण कार्य निर्देशिका 2010 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत किए जाने थे और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भविष्य में कार्यों की स्वीकृति में प्रारम्भिक और अंतिम बिंदु स्पष्ट इंगित हों।

## 4.8 मस्टर रोल में कार्य पूर्ण होने की अवधि के बाद सामग्री की खरीद

मास्टर परिपत्र 2019-20 और 2020-21 के अनुच्छेद 7.1.7(ई) के अनुसार, सामग्री की अधिक खरीद से बचना चाहिए, और आपूर्ति के लिए ऐसा आदेश देना चाहिए कि आपूर्ति के तुरंत पश्चात् उसका उपयोग किया जा सके।

पंचायत समिति घाटोल (बांसवाड़ा) की चयनित दो ग्राम पंचायतों (भोयर और चिरावाला गड़ा) के अभिलेखों की संवीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 'सिंचाई नाली' और सीमेंट कंक्रीट सड़कों के निर्माण से संबंधित दो कार्यों में सामग्री, अंतिम मस्टर रोल जनरेशन की तारीख के बाद क्रय की गई थी।

सिंचाई नाली के निर्माण कार्य के लिए अंतिम मस्टर रोल में कार्य की अंतिम तारीख 15 अक्टूबर 2021 थी, जबकि सामग्री (सीमेंट, ग्रेवल, पत्थर) क्रय बिल की तारीखें (19 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021) इन तारीखों के बाद की थीं। इसी प्रकार, सीमेंट कंक्रीट सड़क के निर्माण

[9] सिपला: ₹1.74 करोड़ के 43 कार्य, लुनार: ₹0.56 करोड़ के 8 कार्य, सगरो की बस्ती: ₹2.17 करोड़ के 21 कार्य और कोटडी: ₹1.76 करोड़ के 17 कार्य।

से संबंधित कार्य में यह देखा गया कि मस्टर रोल में कार्य की अंतिम तिथि 12 दिसंबर 2022 थी, जबकि सीमेंट,ग्रेवल और मिट्टी जैसे सामग्री के क्रय बिल बाद की तारीखों (21 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023) के थे। मस्टर रोल का विवरण ***परिशिष्ट 4.4*** में दिया गया है।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि संबंधित ग्राम पंचायत ने सूचित किया कि सामग्री समय पर खरीदी गई थी लेकिन विक्रेताओं द्वारा बिल बाद में जारी किए गए थे।

तथ्य यह है कि ऑनलाइन सामग्री रजिस्टर में मस्टर रोल में दर्ज कार्य की आखिरी तारीखों से मिलान किए बिना बिलों की प्रविष्टि की अनुमति दी गई थी, जिन्हें सिस्टम में भी अपलोड किया गया था।

## 4.9 मस्टर रोल में पाई गई अनियमितता

परिचालन दिशानिर्देश 2013 के अनुच्छेद 4.1.2 (vii) के अनुसार, मेट्स को मस्टर रोल में प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। उपस्थिति लगाने के लिए, श्रमिक मस्टर रोल में दिन वाले कॉलम के नीचे अपने हस्ताक्षर कर सकते हैं। इसके अलावा, मस्टर रोल के सत्यापन, कार्यस्थल पर कार्य की भौतिक माप एवं उसके मूल्यांकन के पश्चात् मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इस तरह, मस्टर रोल में किसी श्रमिक की दर्ज की गई उपस्थिति मनरेगा साइट पर उनका रोजगार सुनिश्चित करने के लिए मुख्य घटक है। मस्टर रोल में पाई गई अनियमितताएं नीचे बताई गई हैं:

### *4.9.1 श्रमिकों की उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना ₹ 3.60 लाख का अनियमित भुगतान*

दो पंचायत समितियों (लाडनूं और सज्जनगढ़) के खंड विकास अधिकारी एवं कार्यक्रम अधिकारी के मस्टर रोल की संवीक्षा करने पर यह पाया गया कि 17 मस्टर रोल में श्रमिकों और कारीगरों को ₹ 3.60 लाख का भुगतान उनके हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लिए बिना किया गया था (₹ 2.31 लाख का भुगतान ग्राम पंचायत, मालगांव में नए ग्राम पंचायत भवन के निर्माण के 11 मस्टर रोल[10] में किया गया था और ₹ 1.29 लाख का भुगतान ग्राम पंचायत, गोडा में निर्माण कार्यों के छह[11] मस्टर रोल में किया गया था)। मांगे जाने पर (जनवरी 2025) भी, श्रमिकों/कारीगरों की उपस्थिति सुनिश्चित किए बिना मजदूरी के भुगतान का कारण लेखापरीक्षा को नहीं बताया गया।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि संबंधित पंचायत समितियों के कार्यक्रम अधिकारियों को वास्तविक स्थिति प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए है।

### *4.9.2 पौधारोपण के कार्यों के मस्टर रोल में छेड़छाड़/सुधार*

चयनित छह ग्राम पंचायतों के चयनित कार्यों के मस्टर रोल की समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में

---

[10] मस्टर रोल संख्या 24375-76, 25642-45, 26126-28 तथा अकुशल श्रमिक मस्टर रोल 26154-55

[11] मस्टर रोल संख्या-38442 से 38447

पाया की 2019-22 के दौरान कार्यों के निष्पादन हेतु श्रमिकों को जारी किए गए 28[12] मस्टर रोल में श्रमिकों की उपस्थिति में ओवरराइटिंग/ छेड़छाड़ और विलोपन किया गया था। मांगे जाने (अक्टूबर 2024 और मई 2025) पर भी, इन मस्टर रोल में उपस्थिति में छेड़छाड़/ओवरराइटिंग और विलोपन करने के कारणों के बारे में संबंधित ग्राम पंचायतों ने लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किया। इस प्रकार, इन मस्टर रोल द्वारा श्रमिकों की उपस्थिति की वास्तविकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि संबंधित जिलों को इस संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

इसके अलावा, मस्टर रोल में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, मई 2022 से एक मोबाइल ऐप (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एप - एनएमएमएस एप) के माध्यम से कार्यस्थल पर उपस्थिति लेने के लिए एक नई प्रणाली शुरू की गई है। यह एक दिन में श्रमिकों की दो समय मुद्रांकित और जियो-टैग्ड फोटोग्राफ लेता है।

## 4.10 पूर्ण कार्यों का रखरखाव

जुलाई 2024 से नवंबर 2024 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय के तकनीकी प्रतिनिधियों के साथ मिलकर चयनित 40 ग्राम पंचायतों में चयनित 280 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया गया और इन कार्यों के रखरखाव में कमियां पाई गईं थीं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है :

| **कार्यों का उचित रूप से रखरखाव नहीं किया जाना** | | |
|---|---|---|
| **1. ब्लॉक-सम (जिला-जैसलमेर)** | | |
| कार्य का नाम | पशुशाला निर्माण कार्य, जीएलआर के पास, ग्राम पंचायत, सिपला | 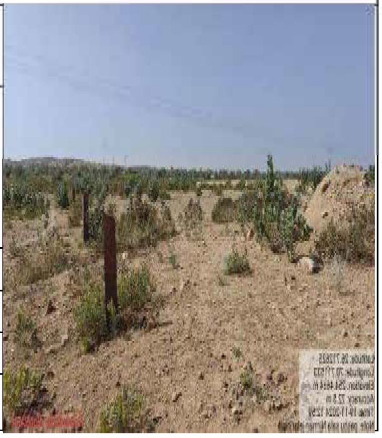 |
| कार्य का क्षेत्र | प्रवेश द्वार का निर्माण, सामने की दीवार, समतलीकरण कार्य, बंड का कार्य, पशुओं के लिए टिन शेड का निर्माण। | |
| स्वीकृत राशि | ₹ 9.17 लाख | |
| व्यय | ₹ 7.67 लाख | |
| कार्य पूर्ण | मई 2024 | |
| भौतिक सत्यापन | नवम्बर 2024 | |

[12] ग्राम पंचायत, मंदाना: 12 मस्टर रोल (संख्या 8009 से 8020), जुसरी: चार मस्टर रोल (10540, 10542, 11713 और 11719), जगपुरा: तीन मस्टर रोल (13808, 13811 और 7764), भोयर: दो मस्टर रोल (38439 और 38463), महुदी: पांच मस्टर रोल (28112, 28114 से 28116 और 2051) और डूंगरा कलां: दो मस्टर रोल (21545 और 21547)।

| | | |
|---|---|---|
| आक्षेप | मौके पर सिर्फ सामने की दीवार निर्मित पाई गई। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया गया कि तूफान की वजह से टिन का शेड गिर गया और चोरी हो गया। इसके अलावा, मवेशियों के शेड के चारों तरफ कोई बाड़ नहीं मिली। | |
| **2. (ब्लॉक-घाटोल) जिला-बांसवाड़ा** | | |
| कार्य का नाम | 'सीसी सड़क निर्माण कार्य पूजा धिरिया के घर से महाकाली मंदिर की ओर खादन काड', चिरावाला गढ़ा (घाटोल) | 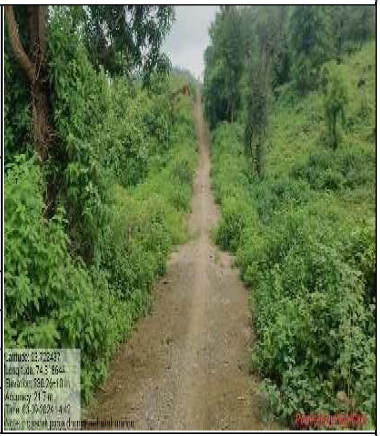 |
| कार्य का क्षेत्र | मोटी रेत, पोर्टलैंड सीमेंट, पत्थर आदि का उपयोग करके सीसी सड़क का निर्माण। | |
| स्वीकृत राशि | ₹14.74 लाख | |
| व्यय | ₹10.23 लाख | |
| कार्य पूर्ण | फरवरी 2024 | |
| भौतिक सत्यापन | सितम्बर 2024 | |
| आक्षेप | सड़क के 50 फीट के हिस्से की ऊपरी सतह खराब पाई गई। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि सड़क पर बारिश का पानी बहने के कारण सड़क खराब हो गई। इसे इस बात के साथ देखा जाना चाहिए कि मास्टर परिपत्र 2016-17 के अनुसार, ग्रेवल रोड की लाइफ 5 से 10 साल होनी चाहिए। | |
| **3. (ब्लॉक- सम) जिला- जैसलमेर** | | |
| कार्य का नाम | बावड़ीपार तालाब में 'अमृत सरोवर का निर्माण, नाडी की गहराई बढ़ाना, और जलग्रहण क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने' का कार्य, ग्राम पंचायत, शिपला | |
| कार्य का क्षेत्र | सामुदायिक तालाबों का नवीनीकरण | |
| स्वीकृत राशि | ₹11.37 लाख (2022-23) | |
| व्यय | ₹11.16 लाख | |
| कार्य पूर्ण | मई 2024 | |
| भौतिक सत्यापन | नवम्बर 2024 | |
| आक्षेप | वेस्टवेयर टूटी हुई पाई गई। ग्राम विकास अधिकारी ने बताया कि बरसात के कारण से यह टूट गई थी और जल्द ही इसकी मरम्मत करवा दी जाएगी। टूटी हुई वेस्टवेयर की समय पर मरम्मत न होने के कारण सरोवर में पानी नहीं भरा जा सका और इसका अपेक्षित लाभ जनता तक नहीं पहुँच पाया। | |
| **4. ब्लॉक-सम (जिला-जैसलमेर)** | | |
| कार्य का नाम | खरंजा निर्माण कार्य तेने के वास से सड़क के वास तक, सगरो की बस्ती | |
| कार्य का क्षेत्र | पत्थर, मोटी रेत और सीमेंट का उपयोग करके खरंजा सड़क का निर्माण। | |
| स्वीकृत राशि | ₹ 8.05 लाख | |

| | | |
|---|---|---|
| व्यय | ₹ 7.61 लाख | |
| कार्य पूर्ण | मार्च 2023 | |
| भौतिक सत्यापन | नवम्बर 2024 | |
| आक्षेप | यह पाया गया कि खरंजा कई जगहों पर टूटा हुआ था और मौके पर खरंजे के कुछ हिस्सों पर मिट्टी भी मिली। इससे पता चलता है कि खरंजे का कार्य घटिया क्वालिटी का निष्पादित किया गया था। | |

राज्य सरकार ने अवगत (जून 2025) कराया कि ज़िम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए ज़िलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

## 4.11 निर्माण कार्यों के लिए सूचना बोर्ड लगाना

ग्रामीण कार्य निर्देशिका, 2010 के अनुच्छेद 24.2 के अनुसार, कार्य के प्रत्येक निर्माणाधीन कार्यस्थल पर एक सूचना बोर्ड लगाया जाएगा, जिसमें कार्य का विवरण अंकित होगा, जैसे कार्य का नाम, योजना का नाम, कार्य प्रारम्भ करने की तारीख और कार्य पूर्ण होने की संभावित तारीख/पूर्ण होने की तारीख, स्वीकृत राशि और व्यय की गई राशि इत्यादि।

लेखापरीक्षा ने चयनित 280 कार्यों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया, जिनमें से 208 कार्यों/स्थलों (74 प्रतिशत) पर सूचना बोर्ड लगे हुए नहीं पाए गए। इस तरह, कार्यों के निष्पादन के बारे में सूचना प्रचारित नहीं जा सकी। विवरण **तालिका 4.8** में दिखाई गई हैं।

**तालिका 4.8: नमूना जाँच किए गए जिलों में कार्यस्थल सूचना बोर्ड की अनुपलब्धता**

| क्र. सं. | जिले का नाम | कुल चयनित कार्य | कार्यों की संख्या जहाँ सूचना बोर्ड उपलब्ध नहीं थे |
|---|---|---|---|
| 1 | बांसवाडा | 56 | 42 |
| 2 | चितौडगढ़ | 56 | 47 |
| 3 | जैसलमेर | 56 | 46 |
| 4 | कोटा | 56 | 47 |
| 5 | नागौर | 56 | 26 |
| **योग** | | **280** | **208** |

*स्रोत: लेखापरीक्षा द्वारा किए गए संयुक्त भौतिक सत्यापन के आधार पर संकलित*

राज्य सरकार ने अवगत (सितंबर 2025) कराया कि नागौर और जैसलमेर जिलों में सभी निर्माण कार्यों पर सूचना बोर्ड लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और कोटा जिलों के लिए कोई जवाब नहीं दिया गया।

## 4.12 निष्कर्ष और सिफारिशें

2019-20 से 2023-24 के दौरान, सितंबर 2025 तक राज्य में स्वीकृत किए गए 21 प्रतिशत कार्य अधूरे थे और 5 प्रतिशत कार्य शुरू ही नहीं हुए थे। राज्य में अधूरे कार्यों में से 8 प्रतिशत कार्य तीन वर्षों से अधिक समय से पूर्ण करने लंबित थे।

टिकाऊ संपतियां सृजित करने पर ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि कार्य बिना किसी सामग्री उपयोग के निष्पादित किए गए थे। 2019-24 के दौरान अभिसरण के तहत अनुमोदित कार्यों में से केवल 11.96 प्रतिशत ही पूर्ण हुए। मस्टर रोल में अनियमितताएं, जैसे कि मस्टर रोल पर श्रमिकों के हस्ताक्षर/अंगूठे के निशान गायब होना, मस्टर रोल में सुधार/ओवरराइटिंग भी देखी गई।

***सिफारिशें:***

*7. राज्य सरकार अधूरे कार्यों की स्थिति की समीक्षा करे और कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक योजना बनाए और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत दूसरी योजनाओं के अभिसरण के तहत स्वीकृत किए गए कार्यों को भी शीघ्रता से करे।*

*8. राज्य सरकार मस्टर रोल के उचित संधारण को सुनिश्चित करने के लिए निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए कार्यवाही करे।*